फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या 336/2015 अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलद
बनाम रूपा राव अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहव इस हुक्म की तामि जारी हुये
17.04.2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पेराकार सरकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी श्री कैलाश कुमावत उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि अप्रार्थी अधिवक्ता श्री कैलाश कुमावत द्वारा बहस में अपने जवाव के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी जा रही हैं कि बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1741 रकवा 0.39 हैक्टर भूमि का प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बाली के आदेश क्रमॉकःएफ. 12(3) ( ) राज/संप./2015/2253 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया गया हैं। जिस दस्तावेज के आधार पर नामा0करण संख्या 2277 दायर किया गया, परन्तु स्थगन आदेश जारी होने से नामान्तरकरण स्वीकृति से शेष हैं। जिससे प्रथम दुष्ट्या मामला अप्रार्थी के पक्ष में बनने से तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र व उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के दलील दी। उपस्थित पेरोकार सरकार द्वारा वकील अप्रार्थी की दलीलो का खण्डन नहीं किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1741 रकवा 0.39 हैक्टर का अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिये जाने के तथ्य जाहिर करते हुये धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही का निवेदन किया गया। तथा साथ में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई। परन्तु अप्रार्थी पक्ष द्वारा अपने जवाव के समर्थन में जो अभिलेखीय साक्ष्य रूपान्तरण आदेश की प्रतिया पेश की गई हैं, उनके अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं कि वर्णित भूमि का अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22.12.2015 को इसी न्यायालय द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा जब अपनी कृषि भूमि का अवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवा दिया है, तो अप्रार्थी विधि अनुसार वर्णित भूमि का अवासीय प्रयोजनार्थ ऊपयोग ले सकता हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रूपान्तरण आदेश के अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में बनना प्रमाणित हैं। प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो जाने से सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में बनने प्रमाणित हैं। अप्रार्थी के पास आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का आदेश होते हुये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व ली गई एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी होने से नामान्तरकरण नहीं हो रहा है। जिससे अप्रार्थी पक्ष को असुविधा एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड रहा हैं। उक्त विवेचन से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित प्रथम दृष्ट्या मामला बनना, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति तीनो बिन्दुओ की कसौटी पर प्रार्थी परोकार सरकार का उक्त प्रार्थना पत्र खरा नहीं उतरने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र खारिज होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2015 को जारी एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त हो जावेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल प्रकरण संख्या 335/2015 के संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी, बाली बाली	

Scanned by CamScanner